

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमाक:पं03(01)चिस्वा/2/2023/के-666

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:-डॉ0 किशोर कुमार गर्ग, प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी, राजकीय जिला चिकित्सालय टोंक, को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 किशोर कुमार गर्ग, (जन्मतिथि 01.10.1961) प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी राजकीय जिला चिकित्सालय टोंक, जो 62 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, डॉ0 किशोर कुमार गर्ग, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ0 किशोर कुमार गर्ग, के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(निमिषा गुप्ता)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
3. डॉ0 किशोर कुमार गर्ग, प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी, राजकीय जिला चिकित्सालय टोंक।
4. रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.12.27 14:58:55 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/प्रवि/के-666/2024/II

दिनांक : 10/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 5227485 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में।
2. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० किशोर कुमार गर्ग (जन्मतिथी 01.10.1961) प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) राजकीय जिला चिकित्सालय, टोक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. अतिरिक्त निदेशक पेशन विभाग अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, टोक को भेजकर लेख है कि डॉ० किशोर कुमार गर्ग (जन्मतिथी 01.10.1961) प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) राजकीय जिला चिकित्सालय, टोक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है। साथ ही आपके अभिलेखानुसार भी विभागीय जाँच सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित अधिकारियों की जी मेल-आईडी पर अपलोड करावे।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/एटीसी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
9. डॉ० किशोर कुमार गर्ग (जन्मतिथी 01.10.1961) प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) राजकीय जिला चिकित्सालय, टोक को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Res
5306102

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date: 10-01-2024 04:39:18